रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 26 दिसम्बर, 1996/5 पौष, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 नवम्बर, 1996

संख्या एस0 टी0 वी0 (पर्यावरण) ए (10)-4/92.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 का 15 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम जिनका राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), तारीख 18-7-1996 को समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 17-7-96 द्वारा पूर्व प्रकाशन हो चुका है, बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) नियम, 1996 है।

(2) ये नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 अभिप्रेत है,

(ख) 'जीव चिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट' से अस्पतालों, औषधालयों, प्राईवेट क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और वधशाला में उत्पन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(1) मानव या पशु का शारीरिक अपशिष्ट ;
(2) रक्त, शारीरिक तरल और रक्त रंजित पट्टियां ;
(3) सूक्ष्म जैवीकीय अपशिष्ट ;
(4) फैंकी हुई दवाईयां ;
(5) प्रयोज्य नुकीले अपशिष्ट (सूईयां) सरीन्जें, सकैपलस ब्लेडज ;
(6) अत्यधिक संक्रामक अपशिष्ट ;
(7) वधशाला अपशिष्ट ;
(8) भस्मीकरण अपशिष्ट (किसी जीव चिकित्सा अपशिष्ट में भस्मीकरण की राख) ;
(9) जीव शाला वैज्ञानिक अपशिष्ट ।

(ग) 'कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति' से इन नियमों के नियम 4 के अधीन गठित कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट प्रबन्धन समिति अभिप्रेत है ;

(घ) 'कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र' से नियम 3 के अधीन गठित क्षेत्र अभिप्रेत है,

(ङ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है, और

(च) 'राज्य सरकार' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

2. अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है परन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र.—(1) कूड़ा-कचरा निपटान, झाड़ू और सफाई के लिए, स्थानीय प्राधिकरण अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र को कूड़ा-कचरा संग्रहण अपशिष्ट प्रबन्ध क्षेत्रों में विभक्त करेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन गठित प्रत्येक कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र, सफाई निरीक्षक (चाहे उसका कोई भी नाम हो) के प्रभाराधीन होगा और सफाई निरीक्षक एक या एक से अधिक ऐसे क्षेत्रों का प्रभारी होगा ।

4. कूड़ा-कचरा अपशिष्ट प्रबन्धन समिति.—(1) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र में, कूड़ा-कचरा के दक्ष संग्रहण और निपटान के लिए उपाय और सहयोग के लिए कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति का गठन किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—

(क) सम्बन्धित स्थानीय निकाय में, क्षेत्र का जन प्रतिनिधि,

(ख) स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, क्षेत्र के दो जिम्मेदार व्यक्ति ;

(ग) क्षेत्र का सफाई निरीक्षक ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति का कार्य क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरण को निम्नलिखित में सहयोग देना होगा :—

(क) ऐसे स्थानों का चयन करने या चिन्हित करने जहां कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट अस्थाई तौर पर जमा करने के लिए सार्वजनिक कूड़ेदान उपलब्ध करवाये जाएंगे ।

(ख) ऐसे मध्यान्तरों को नियत करने जिनमें नियम 5 के अधीन अभिहित सभी स्थानों पर कूड़ा दानों में जमा अन्तर्वस्तु और ढेर को हटाया/खाली किया जाएगा ।

(ग) सार्वजनिक कूड़ादान/कचरा पेटी में कूड़ा-कचरा जमा करते समय और इस क्षेपण भूमि की या उसके—जीव परिवर्तन, क्षेपण, भस्मीकरण या पुनः चक्रण के लिए नियत स्थानों को ले जाने के लिए रक्षोपाय अपनाने का प्रावधान करने में ।

(घ) कूड़ा-कचरा अपशिष्ट विशेषकर जीव अनाशित कूड़ा-कचरा अपशिष्ट को कम करने, उसके पुनः प्रयोग और उसके पुनः चक्रण को सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने में ।

(ङ) घरेलू अपशिष्ट को इसके स्रोत पर इसके पुनः प्रयोग और चक्रण के लिए अलग करने की सामाजिक और आर्थिक व्यवहारता के अन्वेषण के लिए क्षेत्र के निवासियों को प्रोत्साहित करने में ।

(च) क्षेत्र में परिस्थिति को बनाए रखने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सुधारात्मक पग उठाने में ।

सार्वजनिक कूड़े-कचरे के लिए कूड़ादान/कचरा पेटी ।

5. (1) स्थानीय प्राधिकरण नियम 4 के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति के परामर्श से क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अनाशित कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट के अस्थाई जमा या संग्रहण के लिए, उचित और सुविधाजनक स्थिति में अलग से जीव अनाशित कूड़ा-कचरा रखने और जमा करने की अन्यथा कूड़ादान/कचरा पेटी की व्यवस्था करेगा ।

(2) अस्पतालों, औषधालयों, प्राईवेट कलीनिकों, प्रयोगशालाओं और वधशालाओं में, ऐसे संस्थानों का प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति, वहां उत्पन्न होने वाले कूड़े-कचरे और जीव चिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट के संग्रहण और जमा करने के लिए अलग से सुविधाजनक स्थानों पर कूड़ादान/कचरा पेटी की व्यवस्था करेगा ।

(3) स्थानीय प्राधिकरण और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रबन्धन समिति, इस नियम के अधीन कूड़ादान/कचरा पेटी की व्यवस्था करते/रखते समय यह सुनिश्चित करेगी कि इनको आवारा कुत्तों व पशुओं के प्रवेश/पहुंच से परे रखने को प्रत्येक सम्भव सावधानियां बरती गई हैं ।

कूड़ादान/कचरा पेटी का रंग और उस पर लेखन :

6. सार्वजनिक कूड़ादान और कचरा पेटी को रंग किया जाएगा और निम्नलिखित उस पर लिखा जाएगा :—

1. जीवनाशित काला रंग, केवल जीवनाशित कूड़ा-कर्कट के लिए लेखन सहित।

2. जीव अनाशित : हरा रंग केवल अनाशित कूड़ा-कर्कट के लिए लेखन सहित ।

3. जीव चिकित्सा/रोग विषयक/अपशिष्ट पीला रंग केवल जीव चिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट के लिए लेखन सहित । स्वामियों और अधिभोगियों द्वारा अपनाये जाने वाले उनके भवनों एवं भूमि से उत्पन्न कूड़ा-कचरा/कूड़ा रखने के लिए रक्षोपाय ।

7. सभी भूमि और भवनों के स्वामी और अधिभोगी अपनी-अपनी भूमि/भवनों से उत्पन्न कूड़ा-कचरा/कूड़ा-कर्कट संगृहित करेंगे या करवायेंगे और इसे क्षेत्र के स्थानीय प्राधीकरण द्वारा नियम 5 के अधीन अस्थाई रूप से रखने के लिए या कूड़ा-कर्कट को संगृहित करने के लिए उपलब्ध करवाई गई सार्वजनिक कूड़ा दानों और कचरा पेटियों में डालेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि:--

(क) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अभिहित स्थान में कूड़ा-कचरा संगृहित किया जाता है ;

(ख) कूड़ा-कचरा, कूड़ादान/कचरा पेटी में ही डाला जाता है ;

(ग) जीव नाशित कूड़ा-कचरा उस प्रयोजन के लिए अभिहित कूड़ादान/कचरा पेटी/डम्पर में ही डाला जाता है; और

जीव अनाशित कूड़ा-कचरा, जीव नाशित कूड़ा-कचरा या जीव चिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जाता है और इसके प्रयोजन के लिए अभिहित कूड़ादान/कचरा पेटी में ही डाला जाता है ।

जीव अनाशित कूड़ा-कर्कट फेंकने को प्रतिषिद्ध करना

8. कोई व्यक्ति अपने आप या दूसरों के माध्यम से जानबूझ कर या अन्यथा ।

(क) किसी भी प्रकार के जीव अनाशित कूड़े-कचरे को नियम 5 के अधीन उस प्रयोजनार्थ अभिहित कूड़ा-दान/कचरा पेटी से भिन्न किसी स्थान पर नहीं फेंकेगा या फिकवाएगा तथा,

(ख) जीव चिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट को अन्य जीव अनाशित कूड़े-कचरे/अवशिष्ट के साथ नहीं मिलाएगा । कूड़ा-कचरा नियन्त्रण स्थानीय प्राधिकरण और इसके अधिकारी ।

9. किसी ऐसे जीव अनाशित कूड़े-कचरे को साफ करने के लिए आदेश दे सकेगा जो कि इस अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के विपरीत फैंका गया हो ।

10. कूड़े-कचरे/अपशिष्ट का निपटान.--(1) नियम 5 के अधीन/उपलब्ध कराए गए कूड़ादानों/कचरा पेटियों में जमा विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न कूड़े-कचरे/अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण या तो अपने कर्मचारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाए गए प्राईवेट अभिकरणों द्वारा संगृहित करवा कर क्षेपण स्थानों या युक्ति-युक्त कूड़ा स्थलों को ले जाया जाएगा ।

2. उप-नियम (1) के अधीन कूड़ादानों/कचरा पेटियों में से उठाए गए और कूड़ा स्थलों को ले जाए गए (जीव चिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट से भिन्न) जीव अनाशित कूड़े-कचरे/अपशिष्ट चाहे वह जीव अनाशित या जीव अनाशित सामग्री से समाविष्ट है को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यवधित पुनः चक्रण केन्द्र को, इसके अपने अधिकारियों या प्राईवेट अभिकरणों या चिथड़े उठाने वालों/कबाड़ियों के माध्यम से ले जाया जाएगा ।

3. तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अवधारित

किए जा सकने वाले निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अस्पताल, औषधालय, चिकित्सालय, प्रयोगशाला और वधशाला के प्रबन्धन के उत्तरदायी व्यक्ति जीव चिकित्सा रोग विषयक अवशिष्ट को (जिसमें उससे उत्पन्न अन्य कूड़ा-कचरा भी है) भस्मीकरण या अन्य अभसमीकरण प्रक्रिया द्वारा निपटाएगा, परन्तु जहां भस्मीकरण सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या ऐसा मितव्ययिता के कारण व्यवहार्य नहीं है तो स्थानीय प्राधिकरण, तत्प्रतिकूल करार के अभाव में जीव चिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट को भस्मीकरण की प्रक्रिया या अन्य अभस्मीकरण प्रौद्योगिकी के द्वारा हटाए जाने और निपटाए जाने की व्यवस्था करेगा ।

4. जीव नाशित कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट उप-नियम 3 के अधीन रहते हुए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जैसा वह उचित समझे, जीव परिवर्तन, क्षेपण या भस्मीकरण या किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निपटाया जाएगा।

5. स्थानीय प्राधिकरण को क्षेत्रीय परिसीमाओं के भीतर सभी स्रोतों से उत्पन्न कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट के जीव परिवर्तन, क्षेपण और प्रसंस्करण के लिए प्रत्येक स्थल आवासिक स्थानों से पर्याप्त दूरी पर स्थित होने चाहिए ।

11. निरीक्षण (1).—स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी या नियम 4 के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति के सदस्य इन नियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ किसी युक्ति-युक्त समय पर निम्नलिखित में से कोई या सभी कार्य कर सकेगा:—

(क) किसी स्थान में प्रवेश और उनका निरीक्षण या अवधारित करने के लिए करना,—

(1) कूड़े-कचरे से कोई प्रतिकूल प्रभाव यदि कोई हो, किस विस्तार तक पड़ रहा है, पड़ गया है, या पड़ने की सम्भावना हो,

(2) कोई प्रतिकूल प्रभाव, जो कि घटित हो सकता है, घटित हो रहा है, या घटित हो चुका है, का कारण जानने के लिए,

(3) प्रतिकूल प्रभाव को कैसे रोका जाएगा, उसका निराकरण कैसे किया जाए, उसको कैसे घटाया जाए और पर्यावरण का संरक्षण या पुनः सुधार कैसे किया जाए ।

(ख) जहां कि ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य को युक्ति-युक्त रूप में विश्वास हो कि वहां कूड़ा-कचरा मिल सकता है यथा स्थिति ऐसा अधिकारी या कर्मचारी या सदस्य किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरक्षण कर सकेगा ।

(ग) जब ऐसा अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य यथास्थिति युक्ति-युक्त तौर पर विश्वास करता हो कि पर्यावरण में या ऐसे स्थान पर जो जनता को दृष्टिगोचर है, में कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट फैंक सकता है, फैंक रहा है या फैंक चुका है या उस कूड़े-कचरे/अपशिष्ट से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, पड़ गया है या पड़ने की सम्भावना है तो वह व्यक्ति जिसके पास कूड़े-कचरे/अपशिष्ट का प्रभार प्रबन्धन या नियन्त्रण है तो उस व्यक्ति से कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट को जहां यह मिले से हटाने या हटाये जाने के लिए और नियम 5 के अन्तर्गत उस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थान पर जमा करने की अपेक्षा करेगा ।

2. किसी प्राईवेट परिसर में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उप-नियम 1 के अधीन प्रवेश नहीं किया जा सकेगा ।

12. अधिकारियों की सहायता.—किसी स्थान का स्वामी और वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में

स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी या नियम 4 के अन्तर्गत गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति का सदस्य किसी अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो:--

(क) ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य को उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए समस्त युक्ति-युक्त सहायता प्रदान करेगा ।

(ख) ऐसे अधिकारी कर्मचारी या सदस्य को उन शक्तियों के प्रयोग और उन कर्तव्यों के निर्वहन करने के सम्बन्ध में युक्ति-युक्त रूप से अपेक्षित समस्त सूचनाएं प्रदान करेंगे ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।